16/2/26

पत्रा० पेश हुई। वकु० उ०। मूल वाद पत्र अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। अतः प्रा० पत्र 212 RPC का चलाये का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र 212 RPC इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा० फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।